राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	383/2023 रामेश्वर बनाम अर्जुन लाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो।	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 18 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/01/2023 पारित करते हुये ग्राम लालचन्दपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक माचवा तहसील कालवाड़ अन्तर्गत खसरा नम्बर 116, 119, 120/362, 121/364, 121/363 उभयपक्षों को आगामी दिनांक तक मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन अन्तरिम आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण विभाजन का है, जिसमे उभयपक्षकारान रिकार्डेड सहखातेदार को अपनी खाते व हिस्से की आराजी में कृषि कार्य के अतिरिक्त रहवास हेतु मकान की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर एकपक्षीय अपीलाधीन अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है एवं चूँकि मूल प्रकरण विभाजन का है, ऐसे में कृषि कार्य एवं रहवास की सुविधा पक्षकारान को प्रदान करते हुये उभयपक्षों को विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किया जाता उचित समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/01/2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण तक उभयपक्षों को केवल मात्र कृषि कार्य करने एवं रहवास हेतु निर्माण की अनुमति प्रदान करते हुये विवादित भूमि की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वर बनाम अर्जुन लाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बॉस सुनवाई उभयपक्षकारान शीघ्रता से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	